अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 362/26 (सीआईएस 362/26)
श्रीमति विजयलक्ष्मी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस सं. 362 / 2026
श्रीमती विजय लक्ष्मी बनाम जविप्रा
दिनांक 02.07.2026

रेफरेंसकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एस एस सोलंकी उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक सिंह शेखावत उपस्थित।

बहस रेफरेंस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

रेफरेंसकर्ता द्वारा हस्तगत रेफरेंस के माध्यम से निम्न प्रकार अनुतोष चाहा गया है।

'' अतः रेफरेन्स प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी श्रीमान के समक्ष मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी एवं उसके अधिनस्थ अधिकारी कर्मचारी अधिकारी इत्यादि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीया के भू.सं. 237 योजना नन्दपुरी, विवेक विहार, जगतपुरा जयपुर, में प्रार्थी के शेष रहे निर्माण में किसी प्रकार की तोड फोड नहीं करे, कोई हस्तक्षेप नहीं करे, ध्वस्त नहीं करे, एवं बिना अवाप्ति के बिना मुआवजा दिये, बिना प्रार्थीया को पुर्नवासित किये बेदखल की कार्यवाही नहीं करे, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, अन्य किसी प्रकार से दखलदांजी पैदा नहीं करे।''

जविप्रा द्वारा निम्न प्रकार जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है।

'' शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना विवेक विहार के जविप्रा द्वारा जारी योजना मानचित्र अनुसार का भूखण्ड संख्या–237 सेक्टर रोड़ 80 की सीमा में होने के कारण गैर अनुमोदित किया हुआ है। जिस पर रेफरेन्सकर्ता ने निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जो राजकीय सड़क भूमि 80 सेक्टर रोड़ पर अतिक्रमण है।

रेफरेन्सकर्ता द्वारा जविप्रा की अनुमति / स्वीकृति के बिना रेफरेन्सकर्ता द्वारा 80 फीट रोड की भूमि पर किया गया निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में है। जविप्रा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जविप्रा अधिनियम की धारा. 72 का नोटिस क्रमांक 51 दिनांक 02.02.2021 को जारी किया गया। रेफरेन्सकर्ता ने राजकीय सड़क भूमि 80 फीट सेक्टर रोड़ पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस प्रकार जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में जविप्रा अधिनियम की धारा 72 का दिया गया नोटिस विधिक है।

जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना में रेफरेन्सकर्ता ने अनुमोदित योजना के गैर अनुमोदित भूखण्ड पर जो कि 80 फीट रोड़ सीमा में है अतिक्रमण किया हुआ है। यहा यह उल्लेखनीय है कि नंदपुरी चौराहे से जगतपुरा तक 80 फीट सेक्टर रोड़ प्रस्तावित की हुई है। प्रस्तावित सेक्टर रोड़ मौके पर 80 फीट के स्थान पर

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 362/26 (सीआईएस 362/26)

श्रीमती [handwritten] / बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30 से 40 फीट उपलब्ध थी। उक्त सड़क पर अतिक्रमण चिन्हित किये जाकर 139 नोटिस प्रर्वतन शाखा द्वारा जारी किये गये तथा सड़क पर स्थित अतिक्रमणो के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सामूहिक अभियान के दौरान दिनांक 22.05.2026 एवं 08.05.2026 को की जा चुकी है। जिसमें न्यायालय के स्थगन से प्रभावित अतिक्रमणों को छोड़कर शेष का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। प्रार्थी का भूखण्ड भी दिनांक 22.05.2026 को सामूहिक अभियान के दौरान आंशिक ध्वस्त कर दिये जाने के समय मौके पर स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने का निवेदन किये जाने पर जविप्रा द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड पर कार्यवाही रोक दी गयी। तत्पश्चात् प्रार्थी स्वयं द्वारा भी शेष निर्माण को हटाया जा रहा है। सड़क निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है।''

सुना गया।

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस को निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

रेफरेंसकर्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस आंशिक रूप से स्वीकार कर यह अधिकरण जविप्रा को आदेशित करता है कि विधि की प्रक्रिया अपनाये बिना किसी प्रकार की कार्यवाही/तोडफोड/ध्वस्तीकरण नहीं किया जाये। रेफरेंस का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।